न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 04 / 2013

अपीलकर्ता		उत्तरदातागण
1 जोगाराम 2 जगनाथ पिसरान मोडाराम 3 जसाराम 4 लक्ष्मणराम 5 लिखमाराम 6 प्रकाश पिसरान हीराराम 7 रामू पत्नी हीराराम 8 बागाराम पुत्र चोलाराम जाति जाट निवासी असाडा की बेरी तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 ग्राम पंचायत जसाई जरिये सरपंच 2 मूलाराम 3 जेसाराम उर्फ लच्छाराम पिसरान धरमा 4 जगूराम 5 करनाराम पिसराम मेहराराम 6 बूलाराम 7 रामाराम 8 ओपाराम पिसरान जेठाराम जाति जाट निवासी असाड़ा की बेरी तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :— 1 श्री पदमसिंह पड़िहार, वकील अपीलकर्ता।
2 श्री बांकाराम, वकील उत्तरदाता संख्या 02।
3 श्री हुकमसिंह चौधरी वकील उतरदाता संख्या 03।

आदेश

दिनांक 26/05/19

संक्षिप्त में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट संख्या 01 व 02 के पिता मोडा, 03 व 06 के पिता व 07 के पति हीरा व अपीलान्ट संख्या 08 बागा एवं उत्तरदाता संख्या 02 व 03 की खातेदारी का खेत मौजा असाडा की बेरी के खसरा संख्या 06 रकबा 492.09 बीघा का आया हुआ है, जिसमें अपीलकर्ता संख्या 01 व 02 के पिता मोडा, अपीलकर्ता संख्या 03 से 06 के पिता व 07 के पति हीरा व 08 बागा का 1/2 हिस्सा व 1/2 हिस्सा उत्तरदाता संख्या 02, 03 की खातेदारी का था। इस खेत में उत्तरदाता संख्या 02 व 03 द्वारा उत्तरदाता संख्या 04 व 05 तथा 06 से 08 के पिता जेठाराम को इस खसरा संख्या 06 में 78.00 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 22.6.1976 को किया। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तकरण संख्या 60 मौजा आसाड़ा की बेरी हल्का पटवारी द्वारा भरा गया। इस खसरा के पूरे रकबे 492.09 बीघा में कम करते हुए शेष भूमि रकबा 414.09 बीघा में अपीलकर्तागण संख्या 01 व 02 के पिता मोूडा, 03 से 06 के पिता एवं 07 के पति हीरा एवं 08 का 1/2 हिस्सा एवं 1/2 हिस्सा उत्तरदाता संख्या 02 व 03 का दर्ज किया। भू—अभिलेख निरीक्षक को उक्त नामान्तकरण जांच हेतु प्रस्तुत किये जाने पर भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा नामान्तकरण के कॉलम संख्या 11 एवं 12 को सही नही भरा मानकर टिप्पणी की गई, जिसमे यह स्पष्ट किया गया कि बेचानकर्ता द्वारा बेची गई भूमि बेचानकर्ता के 1/2 हिस्सा में से कम की जावे, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा इस टिप्पणी को नजर अन्दाज कर नामान्तकर स्वीकृति हेतु सरपंच ग्राम पंचायत उत्तरदाता संख्या 01 के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे सरपंच ग्राम पंचायत जसाई द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 60 के स्वीकृत होने से अपीलकर्तागण की भी 39.00 बीघा भूमि कम हो गई। अपील प्रस्तुत करने के लगभग 25 दिवस पूर्व अपीलकर्ता व उत्तरदाता संख्या 02 से 08 के बीच राजस्व अभियान के अन्तर्गत भूमि का विभाजन करवाने की चर्चा हुई, जिस पर अपीलकर्तागण द्वारा हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल हासिल करने पर उक्त तथ्य की जानकारी हुई। जानकारी होने से राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की और यह अपील प्रस्तुत की, जो अन्दर म्याद सुमार की जाकर नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक अस्पष्ट सन् 1976 खारिज फरमाया जावे।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

Scanned by CamScanner

वकील अपीलकर्तागण द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि का बेचान उत्तरदाता संख्या 02 मूलाराम द्वारा किया गया था, परन्तु पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण खोलते समय तथ्यों की भारी भूल कर अन्य सहखातेदारों का रकबा कम करते हुए नामान्तकरण पारित किया गया। इस आशय की टिप्पणी भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा भी जांच के दौरान अंकित की थी परन्तु उक्त टिप्पणी को नजर अन्दाज कर सरपंच ग्राम पंचायत जसाई द्वारा नामान्तकरण संख्या 60 स्वीकृत किया गया, जो गलत होने से खारिज योग्य है। अपीलकर्तागण को इसकी जानकारी अपील प्रस्तुत करने से 25 दिवस पूर्व हुई। जानकारी होने पर नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की, जो अन्दर म्याद सुमार की जाकर नामान्तकरण संख्या 60 खारिज किया जावे।

वकील उत्तरदातागण का तर्क है कि स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 60 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील विलम्ब से की गई है, जो म्याद बार होने से खारिज योग्य है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मौजा आसाड़ा की बेरी के खसरा संख्या 06 रकबा 492.09 बीघा में अपीलकर्ता संख्या 01 व 02 के पिता मोडा तथा 03 एसे 06 के पिता तथा 07 के पति हीरा व 08 का 1/2 हिस्सा तथा उत्तरदाता संख्या 02 व 03 का 1/2 हिस्सा था। उत्तरतदाता संख्या 02 व 03 द्वारा अपने 1/2 हिस्सा की भूमि में से 78.00 बीघा भूमि का बेचान अन्य को किया गया। पटवारी हल्का द्वारा सम्पूर्ण रकबा में 1/2 हिस्सा कम करते हुए नामान्तकरण खोला गया, जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच कर टिप्पणी अंकित की, कि खातेदार द्वारा खसरा नम्बर 06 में अपने हिस्से की 1/2 हिस्सा भूमि में से 78.00 बीघा का बेचान किया है। शेष खसरा नम्बर 06 में बेचानकर्ता के हिस्से में 168.00 बीघा व मोडा, हीरा, बागा पिसरान चोला के हिस्से में 246.00 बीघा भूमि रहती है। खाता इसी अनुसार दुरूस्त किया जाना चाहिए। भू–अभिलेख निरीक्षक की उक्त जांच टिप्पणी को नजर अन्दाज करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत जसाई द्वारा नामान्तकरण पारित किया, जो गलत है।

अतः उपर्युक्त विवेचनोपरान्त अपील अपीलकर्तागण अन्दर म्याद सुमार करते हुए स्वीकार की जाकर मौजा असाड़ा की बेरी के खसरा संख्या 06 रकबा 492.09 बीघा भूमि में पारित नामान्तकरण संख्या 60 दिनांक अस्पष्ट वर्ष 1976 खारिज किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को प्रकरण रिमाण्ड करते हुए निर्देश दिये जाते है कि नये सिरे से विधि सम्मत नामान्तकरण पारित करें तथा तदनुसार वर्तमान अभिलेख में भी आवश्यक संशोधन करें।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 26/03/19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

Scanned by CamScanner